महत्वपूर्ण / प्राथमिकता
संख्या–।।५४ / 15–05–2026–1600(30) / 2026

प्रेषक,

संदीप परमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक०३ सितम्बर, 2026**

विषयः–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय–2 के विनियम–1 के परिशिष्ट–'क' में संस्था प्रधान की अर्हता संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः परिषद–9 / डी0ई0 / 758 / 2026–27, दिनांक 13.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 13.08.2026 में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग–दो–क (परिषद के विनियम) के अध्याय–2 के विनियम–1 के परिशिष्ट–'क' में विद्यमान संस्था प्रधान की अर्हता के स्थान पर निम्नवत् संशोधित अर्हता स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय–2 के विनियम–1 के परिशिष्ट–क में विहित अर्हता	**उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय–2 के विनियम–1 के परिशिष्ट–क में संशोधित अर्हता**
संस्था का प्रधान (1) प्रशिक्षित एम०ए० या एम०एस०सी० या एम०काम० या एम०एस०सी० (कृषि) या इसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि जो, उपर्युक्त पैरा में निर्दिष्ट निकाय द्वारा प्रदान की गई हो और विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्था में या उपर्युक्त प्रथम पैरा में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी उपाधि महाविद्यालय में या परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएँ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव	1–(क) <u>प्रधानाचार्य (इण्टरमीडिएट स्तर)</u> (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / मानित विश्वविद्यालय / संस्था से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा (दो) एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी०एड०) की उपाधि तथा (तीन) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की उच्चतर कक्षाओं (कक्षा 09 से 12) में प्रवक्ता अथवा सहायक अध्यापक के पद पर कम से कम 04 वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कम से कम 04 वर्ष का कार्यानुभव, जो सक्षम स्तर से निर्गत हो तथा 30 वर्ष से कम आयु का न हो।

हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का/की न हो। या (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इन्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ–साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि । या (3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी, प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। टिप्पणी– (1) कम से कम द्वितीय श्रेणी का स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था की इन्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का विशिष्ट शिक्षण अनुभव होने पर सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यताओं से छूट दी जा सकती है। (अधिनियम में निहित प्राविधान के अनुसार) (2) शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षण पूर्व अथवा पश्चात् का शिक्षण अथवा दोनों मिलाकर सम्मिलित है। (3) उच्चतर कक्षाओं का तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक का है और इन कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य पद के लिए मान्य है।	<u>(ख) प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल स्तर)</u> (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता किसी विश्वविद्यालय/ मानित विश्वविद्यालय /संस्था से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा (दो) एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी०एड०) अथवा बी०पी०एड० की उपाधि तथा (तीन) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की उच्चतर कक्षाओं(कक्षा 9 से 12) में प्रवक्ता अथवा सहायक अध्यापक के पद पर कम से कम 04 वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कम से कम 04 वर्ष का कार्यानुभव, जो सक्षम स्तर से निर्गत हो तथा 30 वर्ष से कम आयु का न हो। (ग) टिप्पणी:– (एक) सक्षम स्तर से निर्गत का तात्पर्य जनपदीय अधिकारी द्वारा निर्गत एवं मण्डलीय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। (दो) केन्द्रीय विद्यालयों के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का तात्पर्य क्षेत्रीय अधिकारी से है। (तीन) निर्गत किए गये अनुभव प्रमाण–पत्र का रख–रखाव सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

कृपया उक्त के संबंध में तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संदीप परमार)
विशेष सचिव।